न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 172/2019 **दायर दिनांकः 02/12/2019**

उनवान

1. अजीज मोहम्मद आयु 67 वर्ष पुत्र मन्ना खॉ जाति मुसलमान निवासी काचरा तहसील अटरू हाल मुकाम मकान नम्बर 532 केशवपुरा सैटर नम्बर—7 केशवपुरा कोटा जिला कोटा (राज0)

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल नागर।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाक : 07/01/2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है, कि वाके माल ग्राम गन्दोलिया तहसील अटरू जिला बारां (राज0) में वादी के खाते कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में खाता संख्या 7 की ख0न0 685/885 का रकबा 0.08 है0, ख0न0 686 का रकबा 1.19 है0, ख0न0 699/886 का रकबा 0.04 है0 कुल 3 किता का रकबा 1.31 है0 आराजी स्थित हैं। प्रतिवादी के अधिनस्थ कर्मचारियों ने राजस्व रिकॉर्ड तैयार करते समय वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अजीज मोहम्मद के स्थान पर अली मोहम्मद व पिता का नाम मन्ना खॉ के स्थान पर मन्ने खॉ दर्ज कर दिया जबकि वादी का नाम अली मोहम्मद के स्थान पर अजीज मोहम्मद व पिता का नाम मन्ने खॉ के स्थान पर मन्ना खॉ दर्ज होना चाहिए। वादी का नाम जन्म से ही अजीज मोहम्मद व वादी के पिता का नाम मन्ना खॉ हैं जो सम्पूर्ण दस्तावेंज में परिचय पत्र ग्राम पंचायत मेरमाचाह, टी0सी [illegible] य उच्च माध्यमिक विद्यालय अन्ताना, परिवार राशन कार्ड नगर निगम कोटा, जन्म प्रमाण [illegible] नगर निगम कोटा, आधार कार्ड, पेन कार्ड, मिनी बैंक ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमि0 मेरमाचाह, परिचय पत्र [illegible] के सिनिटेन्स लिमिटेड़ कोटा, परिचय पत्र जे के स्टेपल एन्ड़टोज कोटा, बिजली बिल, पहचान पत्र श्रम एवं नियोजन विभाग कोटा, सिंलिग भूमि अवाप्ति की किश्त की रसीद आदि में हमेशा से वादी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 12:49:16 IST
Reason: SelfAttested

नाम अजीज मोहम्मद व वादी के पिता का नाम मन्ना खॉ दर्ज चला आ रहा हैं। वादी ने वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अली मोहम्मद के स्थान पर अजीज मोहम्मद व वादी के पिता का नाम मन्ने खॉ के स्थान पर मन्ना खॉ दर्ज करने का प्रतिवादी से कई बार निवेदन किया परन्तु उक्त त्रुटि को दुरस्त करने से साफ इन्कार कर दिया। इसलिए यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा हैं। बिना न्यायालय की सहायता के उक्त नाम की गलती को दुरस्त किया जाना सम्भव नहीं हैं यदि वादी का नाम व वादी के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त नहीं किया गया तो वादी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में किसी भी प्रकार से किया जाना सम्भव नहीं हैं तथा वादी को अनेकानेक वाद–विवादों में उलझना पड़ेगा। अस्तु वादी राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम अली मोहम्मद के स्थान पर अजीज मोहम्मद व वादी के पिता का नाम मन्ने खॉ के स्थान पर मन्ना खॉ दर्ज करवाने का अधिकारी हैं। वाद कारण प्रथम बार प्रतिवादी के अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकॉर्ड तैयार करते समय उक्त गलती करने पर व अन्तिम बार प्रतिवादी को दिनांक 05.08.2019 को नोटिस देने व उसकी अवधि समाप्त होने पर माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार में उत्पन्न हुआ। प्रतिवादी को धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस प्रेषित कर दिया हैं परनतु उसकी अवधि समाप्त होने पर भी उक्त त्रुटि दुरस्त नहीं करने पर यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं। विवादाग्रस्त आराजी ग्राम गन्दोलिया व वादी ग्राम काचरा तहसील अटरू का होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं।

अतः माननीय न्यायालय में वादी वाद प्रस्तुत कर निवेदन करता हैं कि वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की डिक्री सादिर फरमायी जावें कि :–

(अ) कि वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी माल ग्राम गन्दोलिया में स्थित खाता संख्या 7 व ख0न0 685/885 का रकबा 0.08 है0, ख0न0 686 का रकबा 1.19 है0, ख0न0 699/886 का रकबा 0.04 है0 कुल 3 किता [illegible] रकबा 1.31 है0 आराजी में वादी का नाम अली मोहम्मद के स्थान पर अजीज मोहम्मद व वादी के पिता का नाम मन्ने खॉ के स्थान पर मन्ना खॉ घोषित किया जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 12:49:16 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें।

(ब) यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नही करने के कारण जवाब दावा बंद किया जाता है।

साक्ष्यवादी के अन्तर्गत Pw_1 को बयान लेखबद्ध किये, ओर साक्ष्यवादी पेश नही करने के कारण साक्ष्यवादी बंद किये जाते है। अभिभाषक वादी को सुना अभिभाषक वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को दोहराया तथा रिकार्ड अनुसार माल गन्दोलिया की खाता संख्या 7 किता 3 रकबा 1.31 है0 में वादी का नाम अली मोहम्मद के स्थान पर अजीज मोहम्मद व वादी के पिता का नाम मन्ने खां के स्थान पर मन्ना खां राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें। पत्रावली का अवलोकन किया जमाबन्दी खाता संख्या 7 किता 3 रकबा 1.31 है0 अली मोहम्मद पुत्र मन्ने खां के खाते में दर्ज है। प्रस्तुत रिकार्ड राशन कार्ड, परिचय पत्र पंचायत मेरमाचाह, शिक्षा टी.सी. जन्म प्रमाण पत्र 3.05.2013, आधार कार्ड, आयकर कार्ड, मिनी बैंक डायरी, बिजली बिल व नियोजन कार्ड मे अजीज मोहम्मद पुत्र मन्ना खां दर्ज है। रिकार्ड व साक्ष्य के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

—::**क्रियात्मक आदेश**::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम गन्दोलिया की खाता संख्या 7 किता 3 रकबा 1.31 है0 में खातेदार अली मोहम्मद पुत्र मन्ने खां के स्थान पर अजीज मोहम्मद पुत्र मुन्ना खां राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 12:49:16 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 172/2019

उनवान

1. अजीज मोहम्मद आयु 67 वर्ष पुत्र मन्ना खॉ जाति मुसलमान निवासी काचरा तहसील अटरू हाल मुकाम मकान नम्बर 532 केशवपुरा सैटर नम्बर–7 केशवपुरा कोटा जिला कोटा (राज0)

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू...............X..............................

बहाजिर :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल नागर।

प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम गन्दोलिया की खाता संख्या 7 किता 3 रकबा 1.31 है0 में खातेदार अली मोहम्मद पुत्र मन्ने खां के स्थान पर अजीज मोहम्मद पुत्र मुन्ना खां राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X..................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.......... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 07.01.2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	[illegible]र्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	[illegible]	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	मह[illegible]ा वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 12:49:16 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)